न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–629 / 2026

अभियोग–पत्र सं0–88 / 2023
अन्तर्गत धारा–406 भा0 दं0 वि0
अजय कुमार एवं एक अन्य.....आवेदकगण
बनाम्
बिहार सरकार.....विपक्षी

25.06.2026 अभियुक्त / आवेदक अजय कुमार, पे0–विशेश्वर यादव एवं 2. सुनीता देवी, पति–अजय कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र दाखिल किया गया है जिसकी प्रति लोक अभियोजक, समस्तीपुर को दी गई है।

अभियोजन वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अभियोगी राकेश कुमार द्वारा दाखिल अभियोग–पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है। अभियोग–पत्र के अनुसार अभियुक्तगण अभियोगी के रिश्तेदार हैं जिन्हें मई 2019 में रूपया की आवश्यकता हुई तो वे लोग अभियोगी से सम्पर्क कर 135000 रू0 की मांग किए जिसे वह अभियुक्तगण को 135000 रू0 नगद दिया जिसके एवज में अभियुक्तगण ने अपने–अपने नाम का सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा–लहेरियासराय, दरभंगा का अभियुक्ता सुनीता देवी के नाम का खाता सं0–3586514031 का चेक सं0–066239, रकम 90000 रू0 का एवं अभियुक्त अजय कुमार के नाम का खाता सं0–3560327288 का चेक सं0– 062401, रकम 45000 रू0 का दिया और पैसा लेते समय अभियुक्तगण द्वारा यह कहा गया कि माह अक्टूबर 2019 में चेक डालकर राशि का निकासी कर लीजियेगा तो अभियोगी अभियुक्तगण के कथनानुसार दिनांक 09.10.2019 को अभियुक्तगण द्वारा दिया हुआ दोनों चेक पैसा निकासी हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा–समस्तीपुर में डाला जिसे बैंक द्वारा मेमो के साथ चेक वापस कर दिया गया कि खाता घारक द्वारा इस चेक से पैसा निकासी पर रोक लगा दियाा गया है। वह अभियुक्तगण से सम्पर्क किया तो वे लोग बोले कि अभी पैसा नहीं है, पैसा आने पर नगद रूपया देकर चेक वापस ले लेंगे। इसके बाद पुनः जनवरी 2021 में अभियुक्तगण अभियोगी से सम्पर्क स्थापित कर पुनः 56000 रू0 यह कहकर ले लिया कि उसका बचा काम फंसा हुआ है। काम पूरा हो जायेगा तो सारा रूपया वापस कर चेक ले लेंगे और दिनांक 11.01.2023 को अभियुक्त अजय कुमार 1000 रू0 का भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर महदा बनाकर पुनः मार्च 2021 तक सभी पैसा वापस करने का वादा कर चले गए। उक्त समय से न तो अभियुक्तगण अभियोगी से बात करते हैं और न ही अभियुक्तगण के घर पर जाने पर अभियोगी से मुलाकात करते हैं। इस प्रकार अभियुक्तगण रिश्तेदार होनेके नाते अभियोगी को साजिश के तहत दो चेक देकर 135000 रू0 एवं 56000 रू0 एक हजार रू0 का गैर न्यायिक स्टाम्प पर महदा बनाकर कुल 191000 रू0 ठग लिया।

अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार चौधरी एवं विद्वान अपर लोक अभि0, समस्तीपुर तथा अभियोगी के विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश को सुना।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष हैं एवं कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से कोई अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र या नियमित जमानत आवेदन–पत्र न तो दाखिल किया गया है और न ही खारिज किया गया है।

Web Copy

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–629 / 2026

अभियोग–पत्र सं0–88 / 2023
अन्तर्गत धारा–406 भा0 दं0 वि0
अजय कुमार एवं एक अन्य.....आवेदकगण
बनाम्
बिहार सरकार.....विपक्षी

लगातार

25.06.2026 आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया सारा आरोप असत्य एवं आधारहीन है। आवेदकगण को न्यायालय द्वारा निर्गत कोई प्रोसेस नहीं मिला है, इसलिए आवेदकगण पूर्व में विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। सम्पूर्ण तथ्यों के आलोक में आवेदकगण के विरूद्ध धारा 406 भा0 दं0 वि0 का आरोप नहीं बनता है। आवेदकगण के पलायन एवं उनके द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ की भी संभावना नहीं है तथा वे बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं अभियोगी के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध किए।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध धारा 406 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत प्रथमदृष्टया मामला सत्य पाया गया है जिसमें सजा का प्रावधान सात वर्ष से कम है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सत्येन्द्र कुमार अंतिल बनाम् सी0 बी0 आई0 में पारित आदेश के आलोक में आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक अजय कुमार एवं 2. सुनीता देवी द्वारा आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर न्यायालय में आत्म समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर मो0 10,000 रू0 साथ समान राशि के दो प्रतिभुओं सहित बंध–पत्र भा0 ना0 सु0 सं0 की धारा 482(2) के शर्तो के साथ दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले के विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0 / –

प्र0 अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
समस्तीपुर

Web Copy